

कार्यालय महालेखाकार, गोवा
Office of the Accountant General, Goa
‘ऑडिट भवन’, अल्टो परवरी, गोवा – 403 521
‘Audit Bhavan’, Alto Porvorim, Goa – 403 521
Tel (D) 0832-2416112 Fax 2416228 EPABX 2416224/25 Email: agaugoa@cag.gov.in

परिपत्र संख्या: 15

दिनांक: 21/03/2025

मुख्यालय के पत्र संख्या 70-Staff (Appt.III)/165-2024 द्वारा जारी परिपत्र संख्या 6-Staff (Appt.III)/2025 दिनांक 29/01/2025 में निहित निदेशों के अनुसरण में, सीधे भर्ती किए गए अनुभाग अधिकारियों (एस.ओ.) एवं सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (ए.ए.ओ.) की वरिष्ठता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुनर्निर्धारित किया गया है।

चूंकि, सीधे भर्ती किए गए एस.ओ. का पहला बैच इस कार्यालय में वर्ष 2008 में शामिल हुआ था, इसलिए दिनांक 01/03/2008 के अनुसार पदक्रम सूची से एस.ओ./ए.ए.ओ. संवर्ग में मौजूद सभी अधिकारियों की वरिष्ठता को संशोधित किया गया है तथा इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड किया गया है।

संयुक्त संशोधित वरिष्ठता सूची में मौजूद सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे वरिष्ठता सूची का अध्ययन करें और इस संबंध में सुधार/सुझाव, यदि कोई हो, तो दिनांक 07/04/2025 तक लिखित रूप में प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत करें। दिनांक 07/04/2025 के बाद किसी भी सुधार/सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

(प्राधिकार: महालेखाकार का आदेश दिनांक 21/03/2025)

In pursuance of the instructions contained in HQs. circular no. 6-Staff (Appt.III)/2025 issued vide letter no. 70-Staff (Appt.III)/165-2024 dated 29/01/2025, the seniority of directly recruited Section Officers (SOs) and Assistant Audit Officers (AAOs) has been refixed from the date of joining.

Since the first batch of directly recruited SOs joined this office in 2008, the seniority of all the officers present in the SO/AAO cadre from the gradation list as on 01/03/2008 onwards has been revised and uploaded in the official website of this office.


All the officers present in the combined revised seniority list are requested to go through the seniority list and corrections/suggestions, if any, in this regard may be submitted to the Administration section in writing by 07/04/2025. No corrections/suggestions would be entertained after 07/04/2025.

(Authority: Accountant General's order dated 21/03/2025)

हस्ता/-

वरि. उप-महालेखाकार

1. सचिव, महालेखाकार
2. निजी सहायक, वरि. उप-महालेखाकार
3. व. लेखापरीक्षा अधिकारी/ई.डी.पी. अनुभाग - आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
4. सूचना पट्ट
5. सभी अधिकारी/कर्मचारी - ईमेल द्वारा (संयुक्त वरिष्ठता सूची के साथ)
6. रक्षक संचिका
7. राजभाषा अनुभाग
8. रक्षक संचिका


वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन